न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–3 / 2024 दायर दिनांक: 15.03.2024

GCMS NO:- 2024/41 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. जन्सी आ0 कजोड नि0 भैसों का नयागांव तहसील नैनवॉ।
2. राजाराम आ0 कजोड नि0 भैसों का नयागांव तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामधन आ0 प्रहलाद नि0 भैसों का नयागावं तहसील नैनवॉ।
2. रामसागर आ0 प्रहलाद नि0 भैसों का नयागावं तहसील नैनवॉ।
3. फूला पत्नी भैरूलाल नि0 चैनपुरिया मजरा कोरमा तहसील नैनवॉ।
4. सुरेश कुमार आ0 भैरूलाल नि0 चैनपुरिया मजरा कोरमा तहसील नैनवॉ।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हसन मियां।

प्रत्यार्थी संख्या 3 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 07.10.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बाछोला तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 152 की खसरा संख्या 2045 / 1359 रकबा 1.2944 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त भूमि पर आने जाने के लिए भैसों का नयागांव से बाछोला जाने वाले रास्ते से होकर खसरा नम्बर 1361 मे होकर सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1359 मे होते हुए अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2045 / 1359 मे पहुंचते है। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण काफी समय से खुल्लम खुल्ला कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के काम मे लेते चले आ रहे है लेकिन कुछ समय पूर्व प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व 2 ने सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1359 पर कब्जा कर लिया तथा प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को अवरूद्व कर बंद कर दिया, प्रार्थीगण ने रास्ते को बंद नही करने का तकाजा किया तो प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व 2 कहने लगे कि यह रास्ते नक्शे मे तरमीम नही है तथा अब हमने इस रास्ते पर कब्जा कर लिया है। अब हम तुम्हे यहां से नही निकलने देंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम करवाये तथ इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस मे करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से दिनांक 8.1.2025 को इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर द्वारा वकालातनामा दिनांक 8.1.2025 को पेश किया जा चुका है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 से प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 4 द्वारा आदिनांक तक ना तो जवाब मूल प्रार्थना पत्र पेश किया गया और ना ही जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी व 06 नियम 17 सीपीसी पेश किये गए अतः चुंकी धारा 251क एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः उनका जवाब प्रार्थना पत्र मूल एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी व 06 नियम 17 सीपीसी का अवसर बंद किया जाता है।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी जिसमे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मूल प्रार्थना पत्र व अन्य प्रस्तुत दो प्रार्थना पत्रों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए

प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर नवीन रिपोर्ट तहसीलदार नैनवॉ से तलब कर व प्रार्थीगण राजाराम व जन्सी मे से शामलाती भूमि का बंटवारा हो जाने से प्रार्थी जन्सी का नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थी राजाराम की भूमि पर जाने के लिए रास्ता दिया जावे। साथ ही निवेदन किया कि यदि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता नही दिया जाता तो तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट मे जो ग्रेवल रास्ता विद्यमान बताया है, को बहाल करवाये जाने का निवेदन किया। हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त दो अन्य प्रार्थना पत्र पेश किये हुए है जिसमे से प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी व 06 नियम 17 सीपीसी जिसमे उनके द्वारा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जब प्रस्तुत किया गया था तब भूमि शामलाती थी तथा वर्तमान मे प्रार्थी राजाराम तथा प्रार्थी जन्शी के मध्य भूमि का विभाजन होने से जिस भूमि के लिए प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया था, वह भूमि प्रार्थी राजाराम के हिस्से मे आयी हुई है जिसका नक्शे मे भी इन्द्राज हो चुका है जिसके खसरा नम्बर 2400/2045 है तथा जन्शी की भूमि के खसरा नम्बर 2399/2045 है तथा प्रार्थी राजाराम को ही रास्ता चाहने से प्रार्थी जन्शी का नाम विलोपित करने एवं नक्शा परिशिष्ट अ मे संशोधन करने का निवेदन किया। साथ ही दूसरा प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ती मौका रिपोर्ट दिनांक 24.7.2025 पुनः मंगवाये जाने बाबत् निवेदन किया हुआ है। हमने तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.7.2025 तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.7.2025 मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1356 से दक्षिण दिशा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361 मे होकर खसरा नम्बर 1360 की पूर्वी मेड पर होकर खसरा नम्बर 2400/2045 की दक्षिणी मेड तक ग्रेवल डालकर रास्ता बना हुआ है तथा रास्ते के दोनों ओर खम्बे लगाकर तार लगे हुए है व मौके पर रास्ता चालू है। अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी व 06 नियम 17 सीपीसी इस आशय से खारिज किया जाता है कि उनके द्वारा प्रार्थी जन्शी का नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थी राजाराम के खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2400/2045 मे जाने के लिए प्रार्थना पत्र संशोधित रखना था जबकि प्रार्थी राजाराम के खातेदारी खेत पर जाने के लिए तो वर्तमान मे तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1356 से होकर ग्रेवल डालकर रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है। तथा दुसरा प्रार्थना पत्र जिसमे प्रार्थी राजाराम अधिवक्ता द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया है, इस आशय से खारिज किया जाता है कि पत्रावली मे कार्यवाही चलते लगभग 1 वर्ष 6 माह का समय हो चुका है जिसमे तहसीलदार नैनवॉ की स्पष्ट रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है चुंकि धारा 251 क एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है जिससे न्यायालय पुनः रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नही समझता।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.7.2025 के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए वर्तमान मे रास्ता मौजूद होने से नवीन रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है कि यदि तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 24.7.2025 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए जो ग्रेवल रास्ता बताया है, बंद हो तो उसे बहाल करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ

नजरी नक्शा
ग्राम - बाहोला